जीएसटी घोटाले के आरोपी को जमानत

नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5.50 करोड़ के कथित फर्जी जीएसटी रिफंड घोटाले में गिरफ्तार पूर्व जीएसटी अधिकारी अजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश डॉ. रुचि अग्रवाल असरानी ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। अजीत सिंह 28 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला दस्तावेज साक्ष्यों पर आधारित है। एसीबी के अनुसार, आरोपी ने 2023 में नियमों की अनदेखी कर एक फर्म को 61 संदिग्ध जीएसटी रिफंड आदेश जारी किए, जिससे सरकारी खजाने को करीब 5.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले की जांच जारी है।

Rouse Avenue Court grants regular bail to GST officer in alleged multi-crore GST refund scam

New Delhi, June 27 (UNI) A special CBI court in Delhi on Saturday granted regular bail to GST Officer (GSTO) Ajit Singh, the main accused in an alleged multi-crore Goods and Services Tax (GST) fake refund scam.

The order was passed by the Special Judge under the Prevention of Corruption (PC) Act at Rouse Avenue Court after hearing detailed submissions from both the prosecution and the defence. The court granted bail to the accused on a personal bond of Rs 1,00,000.

Appearing for Ajit Singh, advocates Vishnu Joshi, Ashu, and Ankit argued that their client had served as a public servant for more than three decades with an unblemished and commendable service record. The defence submitted that the case is based entirely on departmental procedures and documentary evidence.

Advocate Vishnu Joshi further informed the court that the accused has been in judicial custody since May 2026, and that all relevant departmental records and electronic devices have already been seized by the investigating agency. Therefore, there is no reasonable possibility of tampering with evidence or influencing witnesses.

The bail plea was strongly opposed by the Public Prosecutor and the Investigating Officer (IO) of the Anti-Corruption Branch (ACB). According to the prosecution, the case was registered on the basis of a complaint filed by the Additional Commissioner of the Departmental Vigilance Wing.

The prosecution alleged that while posted as a Grade-I (DASS) Officer in Ward-34, Ajit Singh violated statutory provisions and departmental rules by issuing 61 GST refund orders amounting to several crores of rupees in favour of a firm identified as M/s Regional Trading.

The investigation into the alleged GST refund scam is currently underway.UNI ATK AAB

Tags: #Rouse Avenue Court grants regular bail to GST officer in alleged multi-crore GST refund scam

करोड़ों रुपये का कथित जीएसटी रिफंड घोटाला: मुख्य आरोपी जीएसटी अधिकारी को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली नियमित जमानत

नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट | 28 जून 2026

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग में हुए करोड़ों रुपये के कथित फर्जी रिफंड घोटाले के मुख्य आरोपी और जीएसटी अधिकारी (GSTO) अजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोपी की रिहाई का आदेश जारी किया। अदालत ने आरोपी अजीत सिंह को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर कर दी हैं। अदालत में आरोपी अजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता विष्णु जोशी, आशु और अंकित पेश हुए। बचाव पक्ष के एडवोकेट विष्णु जोशी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले तीन दशकों से अधिक समय से बेदाग और सराहनीय सेवा रिकॉर्ड के साथ लोक सेवक रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामला पूरी तरह से विभागीय प्रक्रियाओं और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है। एडवोकेट जोशी ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी मई 2026 से ही न्यायिक हिरासत में है और मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक विभागीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए जा चुके हैं, जिसके कारण सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई ठोस गुंजाइश नहीं बचती है। दूसरी ओर, राज्य के लोक अभियोजक और एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) के जांच अधिकारी (IO) ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला विभागीय सतर्कता विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि वार्ड-34 में ग्रेड-1 (DASS) अधिकारी के रूप में तैनात रहते हुए अजी सिंह ने नियमों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर निजी फर्म के लिए करोड़ों रुपये के कुल 61 रिफंड ऑर्डर जारी किए थे, जिससे सरकारी खजाने में काफी नुक्सान पंहुचा था।